कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:– शिविरा/मा./लेखा डी–4/ 28199/विविध/17–18/174 दिनांक 09.03.18

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा
कोटा/बूंदी/बारां/झालावाड़

विषयः– चोरी, हानि, गबन, निदेशक निरीक्षण विभाग, महालेखाकार जयपुर एवं आंतरिक जॉच के बकाया प्रकरण/आक्षेपों के त्वरित निरस्तारण हेतु शिविर आयोजन बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **चोरी, गबन, हानि, निरीक्षण विभाग, आंतरिक जांच एवं महालेखाकार राजस्थान जयपुर** के आपके कार्यालय स्तर एवं आपके अधीनस्थ शालाओं मे काफी समय से लम्बित प्रकरण बकाया चल रहे है। उक्त बकाया प्रकरणों के त्वरित निरस्तारण हेतु निदेशालय स्तर से निम्नानुसार दल का गठन कर आपके जिले कोटा/बूंदी/बारां/झालावाड़ क्रमशः **दिनांक 09.04.18 व 10.04.18/11.04.18/12.04.18/13.04.18** को शिविर का आयोजन किया जाएगा:–

1. श्री मुकेश यादव, उप वित्तीय सलाहकार
2. श्री चन्द्र प्रकाश सिंघल, सहायक लेखाधिकारी I (अनु. प्रभारी लेखा डी4)
3. श्री अशोक नारायण पुरोहित, सहा0 लेखा0 II (आई0रसी0पी0 अनुभाग)
4. श्री कपिल देव जोशी, कनि0 लेखाकार
5. श्री बंशीलाल जोशी, वरि0 सहायक

अतः आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों के स्तर पर प्रकरणों में निम्नानुसार पेरा ड्रॉप व प्रकरणो के निस्तारण हेतु निम्न कार्यावाही पूर्ण करवा कर रखेः–

1. सक्षम अधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच, विभागीय जांच, दण्ड, वसूली चालान आदि के साक्ष्य सहित पालना दो प्रतियों मे मय शाला प्रधान एवं आपकी स्पष्ट अभिशंषा सहित तैयार करवाकर रखे।
2. पुलिस मे दर्ज एफआईआर प्रति, **न्यायालय द्वारा स्वीकृत एफआर की प्रति** या न्यायालय की अद्यतन स्थिति के प्रमाणित साक्ष्य सहित पालना दो प्रतियों मे प्राप्त कर रखे।
3. कम्प्यूटर चोरी प्रकरण मे कम्प्यूटर के स्वामित्व की स्थिति, पुनःस्थापन की स्थिति व संबंधित फर्म से अनुबंध की प्रतियां आदि कार्यवाही पूर्ण कर रखे।
4. यदि चोरी/हानि/गबन के जो भी प्रकरण आज दिनांक तक इस कार्यालय को नही भिजवाए गए है उनमे भी उक्त समस्त कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण करवा कर रखे।

अतः इस संबंध मे आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची अनुसार आपके कार्यालय व आपके अधीनस्थ समस्त शालाप्रधानों मय लेखा संवर्ग व संबंधित को पाबंद करे कि उक्त दिनांक को उपस्थित होकर समस्त संकायो से संबधित पत्रावलियां, बकाया आक्षेपों की ठोस अनुपालना, साक्ष्यों, तथा नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी सहित, **समस्त समीक्षा पत्रों (ड्रॉपर्स) की छाया प्रति दो प्रतियों के साथ उक्त तिथि को प्रातः 10 बजे उपस्थित रहेगे।**

"इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।"

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. निजि सचिव, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा को भेजकर लेख है कि अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी को उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतू पाबंद करे।
3. संबंधित सर्व श्री ....को पालनार्थ।
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को ई–मेल करे व विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर